न्यायालय बाल न्यायालय (सेशन न्यायाधीश) झुंझुनूं (राज०)

पीठासीन अधिकारीः– **सुनील कुमार पंचोली,**

(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

निर्णय दिनांकः 09 जून, 2026

सेशन प्रकरण संख्याः– 103/2025 (CIS N. 108/2025)

राज०राज्य बनाम मंजीत सिंह

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या- 238/2024 पुलिस थाना बुहाना

अपराध अन्तर्गत धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता सपठित धारा 84 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम व धारा 127(4) भारतीय न्याय संहिता

भाग–प्रथम

A

परिवादी	राजवीर पुत्र सत्यवीर, निवासी, खांदवा, पुलिस थाना बुहाना जिला झुंझुनूं (राज०)
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक श्री रामावतार ढाका
अभियुक्त का नाम व पता	मंजीत सिंह पुत्र रघुवीर सिंह, उम्र 20 वर्ष, निवासी भालोठ, पुलिस थाना पचेरी कलां, जिला झुंझुनूं (राज०)
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री राजेश बागोरिया

B

अपराध की दिनांक	07.12.2024
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	14.12.2024
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	30.08.2025
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	18.11.2025
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	15.12.2025
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	05.06.2026
निर्णय दिनांक	**09.06.2026**
दण्डादेश की दिनांक	--

C

अभियुक्त का विवरण

क्र.सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तार करने की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अंतर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा-428 जाब्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिए बालक द्वारा विचारण के दौरान निरूद्धगी में व्यतीत की गई अवधि
01	मंजीत सिंह	03.07.25	08.08.25	137(2) बीएनएस सपठित धारा 84 जेजे एक्ट व 127(4) बीएनएस	**दोषमुक्त**		––

भाग–द्वितीय

अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची

अ–अभियोजन गवाहान

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी.डब्ल्यू 1	प्रियदर्शना	चिकित्सक

पी.डब्ल्यू 2	राजवीर	परिवादी
पी.डब्ल्यू 3	भावना	पीड़िता की माता
पी.डब्ल्यू 4	मुकेश कुमारी	पुलिसकर्मी
पी.डब्ल्यू 5	सुदेश	पुलिसकर्मी
पी.डब्ल्यू 6	संतोष	अनुसंधान अधिकारी
पी.डब्ल्यू 7	उमराव	अनुसंधान अधिकारी
पी.डब्ल्यू 8	भोलाराम	पुलिसकर्मी
पी.डब्ल्यू 9	राजेश कुमार	पुलिसकर्मी
पी.डब्ल्यू 10	सुरेश कुमार	पुलिसकर्मी
पी.डब्ल्यू 11	पीड़िता	पीड़िता

ब–बचाव गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
-	–	–

स–न्यायालय गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
	–––	

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श

अ–अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
01	प्रदर्श पी 1	सैक्स असाल्ट रिपोर्ट पीड़िता
02	प्रदर्श पी 2	आइडेन्टीफिकेशन फार्म पीड़िता
03	प्रदर्श पी 3	तहरीरी रिपोर्ट
04	प्रदर्श पी 4	चाक एफआईआर
05	प्रदर्श पी 5	फर्द दस्तयाबी पीड़िता
06	प्रदर्श पी 6	प्रमाण पत्र धारा 63 साक्ष्य अधिनियम
07	प्रदर्श पी 7	नोटिस धारा 94 बीएनएसएस
08	प्रदर्श पी 8	प्रमाणित प्रति शपथ पत्र परिवादी
09	प्रदर्श पी 9	प्रमाणित प्रति एडमिशन फार्म पीड़िता
10	प्रदर्श पी 10	प्रमाणित प्रति एसआर रजिस्टर
11	प्रदर्श पी 11	चैक लिस्ट
12	प्रदर्श पी 12	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त
13	प्रदर्श पी 13	फर्द इत्तला अभियुक्त
14	प्रदर्श पी 14	तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल अभियुक्त
15	प्रदर्श पी 15	पुलिस बयान पी डब्ल्यू 11 पीड़िता
16	प्रदर्श पी 16	बयान धारा 183 बीएनएसएस पीड़िता

ब–बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
-	-	–

स–न्यायालय प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
	––	

द–भौतिक वस्तुएं

क्र.सं.	भौतिक वस्तु नंबर	विवरण
1	प्रदर्श वस्तु 1	सीडी

1. हस्तगत प्रकरण एक नाबालिग लड़की के साथ हुए अपराध से संबंधित है अतः प्रकरण में बालिका की पहचान गोपनीय रखने हेतु हस्तगत निर्णय में उसको ''पीड़िता'' के नाम से संबोधित किया जा रहा है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 14.12.2024 को परिवादी राजवीर ने एक लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 3 पुलिस थाना बुहाना पर इस आशय की प्रस्तुत की कि दिनांक 07.12.2024 को 7.30 पीएम पर उसकी बेटी पीड़िता घर से लापता हो गयी है। जब उन्होंने आस–पास सभी रिश्तेदारी में पता किया तो पता चला मंजीत पुत्र रघुवीर निवासी भालोठ उनकी बच्ची को बहला–फुसलाकर कर ले गया इत्यादि। इस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 238/2024 दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। दौराने अनुसंधान पीड़िता को दस्तयाब किया गया तथा गवाहान के बयान लेखबद्ध किये गये एवं तत्पश्चात अन्य आवश्यक नियमित अनुसंधान पूर्ण कर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 84 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम व धारा 127(4) भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट बुहाना के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया जहां से प्रकरण कमिट होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुआ।

3. दिनांक 18.11.2025 को अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) सपठित धारा 84 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम एवं धारा 127(4) भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाकर उसका विचारण किया गया।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए पृष्ठ संख्या 1 व 2 पर भाग द्वितीय में वर्णित गवाहान के बयान लेखबद्ध करवाये गये व पृष्ठ संख्या 2 पर भाग द्वितीय में वर्णित दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये।

5. अभियुक्त को धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत परीक्षित किया गया जिसमें उसने गवाहान द्वारा दी गई साक्ष्य को गलत होना बताया और साक्ष्य सफाई पेश करने से इनकार किया।

6. बहस उभयपक्ष सुनी गई एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

7. विद्वान लोक अभियोजक ने तर्क प्रस्तुत किया कि पत्रावली पर आयी अभियोजन साक्ष्य से यह तथ्य सन्देह से परे साबित है कि अभियुक्त ने परिवादी की अप्राप्तवय पुत्री पीड़िता का उसकी विधिपूर्ण संरक्षकता से उसकी सम्मति के बिना बहला-फुसलाकर व्यपहरण किया एवं जयपुर, दिल्ली व गुरूग्राम में दस दिवस से अधिक अवधि के लिए अवैध रूप से निरूद्ध रखा। उनका तर्क है कि परिवादी पी डब्ल्यू 2 राजवीर एवं पी डब्ल्यू 3 भावना पीड़िता की माता ने अपनी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि अभियुक्त मंजीत पीड़िता को बहला-फुसलाकर ले गया। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध कर कड़ी सजा दी जावे।

8. इसका विरोध करते हुए विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क है कि प्रकरण की घटना दिनांक 07.12.2024 की बताई गई है जिसकी प्रथम सूचना रिपार्ट सात दिन पश्चात दिनांक 14.12.2024 को दर्ज करवाई गई, उक्त देरी के संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण अभियोजन पक्ष की ओर प्रस्तुत नहीं किया गया है। उनका तर्क है कि पीड़िता ने अपनी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि वह अभियुक्त को नहीं जानती है, अभियुक्त से वह कभी नहीं मिली और न ही उससे कभी उसकी बातचीत हुई। बल्कि पीड़िता ने यह कथन किया है कि उसके घरवाले उसके साथ मारपीट करते थे इसलिए वह घर से चली गई और उनके पास कभी नहीं जाना चाहती है तथा वर्तमान में भी पीड़िता अपने घरवालों के साथ नहीं रह रही है। पीड़िता पी डब्ल्यू 11 पक्षद्रोही हुई है जिसने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि अभियुक्त ने उसका अपहरण नहीं किया और ना ही उसे निरूद्ध रखा। उनका तर्क है

कि प्रकरण में कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है जिसने अभियुक्त द्वारा पीड़िता को अपने साथ ले जाते हुए देखा हो। उनका तर्क है कि अभियोजन साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता है कि पीड़िता घटना के समय नाबालिग हो क्योंकि पीड़िता ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि स्कूल रिकॉर्ड में उसकी जन्म दिनांक कम करके लिखवाई थी। उनका तर्क है कि अभियोजन पक्ष अपनी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे साबित नहीं कर सका है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जावे।

9. उभयपक्ष को सुनने के उपरांत अब न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु उत्पन्न होता हैः–

''आया अभियुक्त ने दिनांक 07.12.2024 को करीब 7:30 पीएम पर मौजा खांदवा से अप्राप्तवय पीड़िता को उसके विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता से उसकी सम्मति के बिना बहला-फुसलाकर जयपुर, दिल्ली व गुरूग्राम ले जाकर उसका व्यपहरण किया एवं व्यपहृत पीड़िता को दस दिवस से अधिक अवधि के लिए अवैध रूप से निरूद्ध रखा ?''

10. उपरोक्त विचारणीय बिन्दु को सन्देह से परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है। इस क्रम में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 11 गवाहों को न्यायालय में पेश कर परीक्षित करवाया गया है जिनमें गवाह पी डब्ल्यू 11 पीड़िता है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि वह मंजीत को नहीं जानती है। वह मंजीत से कभी नहीं मिली और न ही उससे उसकी कभी कोई बातचीत हुई। उसके घरवाले उसके साथ मारपीट करते थे व उसका भाई उसके साथ गलत हरकतें करता था इसलिए वह घर से चली गई और उनके पास कभी नहीं जाना चाहती है। दिनांक 06.12.2024 को उसके भाई ने उसके साथ मारपीट कर घर से निकाल दिया था किन्तु घरवाले वापस ले आये थे। दिनांक 07.12.2024 को उसके घरवालों ने उसके साथ मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया था। वह जगह-जगह घूमती रही और फिर पुलिस ने उसे पकड़ा। उसके साथ अभियुक्त मंजीत ने कभी कोई गलत काम नहीं किया, वह इसको नहीं जानती है। यह गवाह पक्षद्रोही हुई है जिसने अभियोजन कहानी की ताईद नहीं की है। **बचाव पक्ष द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा**

में इस गवाह ने कथन किया है कि वह अभियुक्त मंजीत से कभी नहीं मिली। अभियुक्त ने उसके साथ कभी कोई आपराधिक कृत्य नहीं किया और ना ही उसका अपहरण किया और ना ही उसे निरूद्ध रखा। वह अकेली ही अपने घरवालों से परेशान होकर घर से अपनी मर्जी से गयी थी और आज भी वह अपने घरवालों के साथ नहीं जाना चाहती है। उसका जन्म जनवरी 2007 में हुआ था, स्कूल रिकॉर्ड में जन्म दिनांक कम करके लिखवाई थी।

11. पी डब्ल्यू 2 राजवीर परिवादी व पीड़िता का पिता है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 07.12.2024 को करीब 7:30 पीएम पर उसकी बेटी पीड़िता जिसकी उम्र 16 वर्ष थी जो घर से लापता हो गई थी। जब उन्हें पता चला तो आस–पास सभी रिश्तेदारों में मालूमात किया तो पता चला कि मंजीत पुत्र रघुवीर निवासी भालोठ उसकी बेटी पीड़िता को बहला फुसलाकर ले गया परन्तु आज तक उसकी बेटी का पता नहीं चला। उसने अपनी पुत्री को ढूंढने की कोशिश की लेकिन वह नहीं मिली। इस बाबत उसने थाने में एक रिपोर्ट प्रदर्श पी 3 पेश की थी, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 4 है। **बचाव पक्ष द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा** में इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि दिनांक 07.12.2024 से लेकर 14.12.2024 से पूर्व उन्होंने पुलिस थाना में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। दिनांक 14.12.2024 से पूर्व उसने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। प्रदर्श पी 3 में पीड़िता की कोई जन्मतिथि नहीं लिखी हुई है। दिनांक 07.12.2024 को वह घर पर था। पीड़िता पुलिस को मिलने के बाद उनके साथ घर नहीं रही।

12. पी डब्ल्यू 3 भावना पीड़िता की माता है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 07.12.2024 को समय करीब 7:30 पीएम पर वह अपने घर पर खाना बना रही थी। उसकी बेटी उसके पास थी तब उसने कहा कि मां वह तेल लगा लेती है, यह कहकर वह अंदर कमरे में चली गई। वह रसोई में खाना बनाती रही। कुछ देर बाद उसने अपनी बेटी को आवाज लगाई तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने अपनी बेटी की घर पर व खेत में इधर–उधर खोजबीन की लेकिन वह नहीं मिली। उसकी बेटी की उम्र 16 वर्ष थी। फिर उसने अपने पति को बताया। उन्होंने आस–पास व रिश्तेदारी में पता किया तो पता चला

कि मंजीत पुत्र रघुवीर निवासी भालोठ उसकी बेटी को बहला फुसलाकर ले गया परन्तु उसकी बेटी का पता नहीं चला। **बचाव पक्ष द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा** में इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि दिनांक 14.12.2024 से पूर्व उन्होंने कोई गुमशुदगी व एफआईआर दर्ज नहीं करवाई। घटना के समय उसकी बेटी मंजीत से मोबाइल पर बातचीत करती हो तो उसे इसकी जानकारी नहीं है। उनकी बेटी उनके पास नहीं रह रही है। उसने मंजीत को आज तक नहीं देखा है।

13. पी डब्ल्यू 1 प्रियदर्शना चिकित्सक है जिसने अपनी साक्ष्य में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 14.12.2024 को मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण हेतु कांस्टेबल मुकेश कुमारी पीड़िता को लेकर आई थी। पीड़िता के मना करने पर उसका स्वास्थ्य परीक्षण नहीं किया जा सका। मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 है, पीड़िता का पहचान बाबत फॉर्म प्रदर्श पी 2 है।

14. पी डब्ल्यू 4 मुकेश कुमारी पुलिसकर्मी है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 02.07.2025 को उसके सामने अनुसंधान अधिकारी ने पीड़िता को दस्तयाब किया था जिसकी फर्द प्रदर्श पी 5 है। उसी दिन उसने अनुसंधान अधिकारी के निर्देशानुसार पीड़िता के बयान लेखबद्ध किए थे व उसकी वीडियोग्राफी की थी। बयान लेखबद्ध कर वीडियो सीडी प्रदर्श वस्तु 1 में डालकर अनुसंधान अधिकारी के सुपुर्द की थी व उसके बाबत प्रमाण पत्र दिया था जो प्रदर्श पी 6 है।

15. पी डब्ल्यू 5 सुदेश पुलिसकर्मी है जिसने दिनांक 02.07.2025 को अनुसंधान अधिकारी द्वारा उसके सामने पीड़िता को जरिए फर्द प्रदर्श पी 5 दस्तायाब किये जाने के संबंध में साक्ष्य दी है।

16. पी डब्ल्यू 8 भोलाराम ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 14.12.2024 को वह पुलिस थाना बुहाना में एएसआई पदस्थापित था। उस दिन उसके समक्ष परिवादी राजवीर ने लिखित तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 3 पेश की थी जिसके आधार पर चाक एफआईआर प्रदर्श पी 4 दर्ज कर पत्रावली अनुसंधान हेतु संतोष एचसी के सुपुर्द कर दी थी।

17. पी डब्ल्यू 9 राजेश कुमार पुलिसकर्मी है जिसने दिनांक 09.01.2025 से 23.01.2025 तक पत्रावली अनुसंधान हेतु उसके पास रहना कथन किया है। बचाव पक्ष द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि उसने कोई अनुसंधान नहीं किया।

18. पी डब्ल्यू 10 सुरेश कुमार पुलिसकर्मी है जिसने दिनांक 04.07.2025 को अभियुक्त द्वारा अपनी इत्तला के आधार पर अनुसंधान अधिकारी को तस्दीक नक्शा मौका व हालात मौका घटनास्थल प्रदर्श पी 14 तैयार करवाया जाना कथन किया है।

19. पी डब्ल्यू 7 उमराव अनुसंधान अधिकारी है जिसने स्वयं द्वारा अनुसंधान संबंधी किये गये कार्यों का विस्तृत विवरण देते हुए कथन किया है कि दिनांक 02.07.2025 को अपहृता को दस्तयाब कर उसकी फर्द प्रदर्श पी 5 तैयार की गई थी। पीड़िता के बयान उसके निर्देशानुसार महिला कांस्टेबल मुकेश ने लिए थे जिसकी वीडियोग्राफी की थी। वीडियोग्राफी की सीडी प्रदर्श वस्तु 1 व साक्ष्य अधिनियम का प्रमाणपत्र प्रदर्श पी 6 प्राप्त किया। पीड़िता को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया था जहां से सखी सेंटर में रखा गया। आरोपी मंजीत को गिरफ्तार किया जिसकी इत्तला प्रदर्श पी 13 पर तस्दीक नक्शा मौका व हालात मौका घटनास्थल प्रदर्श पी 14 तैयार किया गया। सम्पूर्ण अनुसंधान से आरोपी मंजीत के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाया गया जिसके विरुद्ध उसने नियमानुसार न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। **बचाव पक्ष द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा** में इस साक्षी ने कथन किया है कि उसने कोई सीसीटीवी फुटेज प्राप्त नहीं किये। उसे कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं मिला। उसके अनुसंधान में ऐसा कोई गवाह नहीं आया जिसने पीड़िता व आरोपी को साथ देखा हो।

20. पी डब्ल्यू 8 संतोष भी अनुसंधान अधिकारी है जिसने स्वयं द्वारा अनुसंधान संबंधी किये गये कार्यों का विस्तृत विवरण देते हुए गवाहान के बयान लेखबद्ध किया जाना कथन किया है।

21. इस प्रकार पत्रावली पर आयी अभियोजन साक्ष्य के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि पीड़िता पी डब्ल्यू 11 जो प्रकरण की सबसे महत्वपूर्ण साक्षी है

उसने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि वह मंजीत को नहीं जानती है, उससे कभी नहीं मिली। उसके घरवाले उसके साथ मारपीट करते थे व उसका भाई उसके साथ गलत हरकतें करता था, इसलिए वह घर से चली गई और वह उनके पास कभी नहीं जाना चाहती। दिनांक 07.12.2024 को उसके घरवालों ने उसके साथ मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया था। अभियुक्त मंजीत ने उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया। यह गवाह पक्षद्रोही हुई है जिसने अभियोजन कहानी का लैशमात्र भी समर्थन नहीं किया है बल्कि उसने अपने घरवालों पर मारपीट करने व उसे घर से निकाल देने का आरोप लगाया है।

22. गवाह पी डब्ल्यू 2 राजवीर एवं पी डब्ल्यू 3 भावना जो कि पीड़िता के माता-पिता है जिन्होंने अपनी साक्ष्य में यह अवश्य कथन किया है कि उन्हें पता चला कि अभियुक्त मंजीत उनकी बेटी पीड़िता को बहला-फुसलाकर ले गया है परन्तु इन गवाहान ने यह कथन नहीं किया है कि उन्होंने अभियुक्त को पीड़िता को अपने साथ ले जाते हुए देखा हो। पी डब्ल्यू 3 भावना ने तो अपनी प्रतिपरीक्षा में यहां तक कथन किया है कि उसने मंजीत को आज तक नहीं देखा। इनके अतिरिक्त अन्य किसी भी गवाह ने पीड़िता व अभियुक्त को साथ देखे जाने के संबंध में कथन नहीं किया है बल्कि अनुसंधान अधिकारी पी डब्ल्यू 7 उमराव ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि उसे कोई चक्षुसाक्षी नहीं मिला। ऐसी स्थिति में पी डब्ल्यू 2 राजवीर एवं पी डब्ल्यू 3 भावना की साक्ष्य का कोई साक्षिक महत्व नहीं रह जाता है।

23. प्रकरण की घटना दिनांक 07.12.2024 की होना बताया गया है जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 14.12.2024 को सात दिवस पश्चात दर्ज करवाई गई है। उक्त देरी के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से कोई भी स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है जबकि परिवादी पी डब्ल्यू 2 राजवीर ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि दिनांक 07.12.2024 को वह अपने घर पर था। जब परिवादी को अपनी पुत्री पीड़िता के घर से चले जाने के संबंध में दिनांक 07.12.2024 को ही पता चल गया था तो उसे उसी समय इसके संबंध में रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए थी परन्तु उसके द्वारा सात दिवस की देरी के पश्चात रिपोर्ट दर्ज करवाये जाने के संबंध में किसी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण न तो अपनी रिपोर्ट प्रदर्श

पी 3 में अंकित किया है और न ही उसने अपने न्यायालय कथनों में इसके संबंध में कोई कथन किया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन कहानी सन्देहास्पद हो जाती है।

24. परिवादी द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी 3 में पीड़िता की उम्र 16 वर्ष होना अंकित किया है तथा अभियोजन की ओर से पीड़िता के रामप्रसाद बोहरा पब्लिक स्कूल बुहाना में एलकेजी में प्रवेश आवेदन की प्रति प्रदर्शित करवाई गई है जिसमें पीड़िता की जन्म दिनांक 29.08.2009 अंकित है परन्तु इस प्रवेश आवेदन पर पीड़िता के पिता पी डब्ल्यू 2 राजवीर के हस्ताक्षर नहीं है बल्कि गार्जियन के रूप में किसी देशराज के हस्ताक्षर है, उक्त देशराज को अभियोजन की ओर से साक्ष्य में परीक्षित नहीं करवाया गया है और न ही उक्त प्रदर्श पी 9 जारी करने वाले रामप्रसाद बोहरा पब्लिक स्कूल के प्रिन्सीपल को साक्ष्य में परीक्षित करवाया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त प्रवेश आवेदन प्रदर्श पी 9 में पीड़िता की जन्मतिथि किस आधार पर अंकित की गई उसके संबंध में भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य जन्म प्रमाण पत्र आदि अभियोजन की ओर से प्रदर्शित नहीं करवाया गया है। इसके विपरीत पीड़िता पी डब्ल्यू 11 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि उसका जन्म जनवरी 2007 में हुआ था, स्कूल रिकॉर्ड में जन्म दिनांक कम करके लिखवाई थी। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष यह तथ्य प्रमाणित करने में असफल रहा है कि पीड़िता की जन्म दिनांक 29.08.2009 ही हो।

25. उपरोक्त सम्पूर्ण विश्लेषणानुसार अभियोजन पक्ष यह तथ्य सन्देह से परे साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 07.12.2024 को मौजा खांदवा से अप्राप्तवय पीड़िता को उसके विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता से उसकी सम्मति के बिना बहला-फुसलाकर जयपुर, दिल्ली व गुरूग्राम ले जाकर उसका व्यपहरण किया एवं व्यपहृत पीड़िता को दस दिवस से अधिक अवधि के लिए अवैध रूप से निरूद्ध रखा। अतः अभियुक्त आरोपित अपराध से दोषमुक्ति का अधिकारी है।

आदेश

26. परिणामतः अभियुक्त मंजीत सिंह पुत्र रघुवीर सिंह, निवासी भालोठ, पुलिस थाना पचेरी कलां, जिला झुंझुनूं को अपराध अन्तर्गत धारा **137(2)** भारतीय न्याय संहिता सपठित धारा **84** किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम एवं

धारा **127(4)** भारतीय न्याय संहिता के आरोपों से सन्देह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

27. अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत–मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

28. अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानान्तर्गत पच्चीस हजार रूपये की एक प्रतिभूति एवं इसी राशि का निजी बंधपत्र छः माह की अवधि के लिए पेश कर तस्दीक करावें कि इस निर्णय के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय में अपील/रिवीजन प्रस्तुत करने की सूरत में नोटिस प्राप्त होने पर वह स्वयं अपीलीय न्यायालय में उपस्थित हो जाएगा।

(सुनील कुमार पंचोली)
सेशन न्यायाधीश
(बाल न्यायालय)
झुंझुनूं (राज०)

29. निर्णय आज दिनांक **09.06.2026** को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(सुनील कुमार पंचोली)
सेशन न्यायाधीश
(बाल न्यायालय)
झुंझुनूं (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.06.10 07:56:46 IST